

कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सहायता अनुभाग रूम नं 12 कलेक्टर सम

email Id- oicreliefswm@gmail.com

क्रमांक:- सहा./बाढ़/क्षति.परि/2025/3590

दिनांक:- 1/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ /अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त आंगनवाडी भवन की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनःस्थापना हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों व आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक एफ.8(8)आ.प्र. एवं सहा/बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJRef179114422 दिनांक 23.09.2025 के अनुसार बाढ़/अत्यधिक वर्षा से हुई क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु कुल 32 कार्य हेतु राशि रुपये 45.20 लाख (पैंतालीस लाख बीस हजार रुपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है, की पालना में निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट मद 2245-02-107-02-01 के उपमद 21 से किया जावेगा।

क्र. सं.	तहसील	आंगनवाडी भवन का नाम	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार आवश्यक बजट	कुल अनुमानित राशि (लाखों में)	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	Restoration हेतु उत्तरदायी अधिकारी का नाम/पदनाम एवं मोबाइल
1	सवाई माधोपुर	खिलचीपुर द्वितीय	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2	सवाई माधोपुर	शेरपुर	आंगनवाडी भवन	2.5	1.5	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
3	सवाई माधोपुर	कुतलपुरा	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
4	सवाई माधोपुर	छारोदा	आंगनवाडी भवन	2.5	1	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
5	सवाई माधोपुर	जमुलखेडा	आंगनवाडी भवन	2.5	1	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
6	सवाई माधोपुर	पुसौदा	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
7	सवाई माधोपुर	भदलाव	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
8	सवाई माधोपुर	कुण्डेरा द्वितीय	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
9	सवाई माधोपुर	करेला	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
10	सवाई माधोपुर	गम्भीरा प्रथम	आंगनवाडी भवन	2.5	1	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद

RajKaj Ref No.:

18076040

eSign DSC

11	सवाई माधोपुर	श्यामपुरा प्रथम	आंगनवाडी भवन	2.5	1.3	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
12	सवाई माधोपुर	श्यामपुरा द्वितीय	आंगनवाडी भवन	2.5	1.1	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
13	सवाई माधोपुर	रामसिंहपुरा द्वितीय	आंगनवाडी भवन	2.5	1.5	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
14	सवाई माधोपुर	चकरी द्वितीय	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
15	सवाई माधोपुर	एण्डा द्वितीय	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
16	सवाई माधोपुर	मखौली	आंगनवाडी भवन	2.5	1.4	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
17	सवाई माधोपुर	भूरीपहाडी	आंगनवाडी भवन	2.5	1.1	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
18	सवाई माधोपुर	रईथा कलां	आंगनवाडी भवन	2.5	1.35	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
19	सवाई माधोपुर	हिंगोणी	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
20	सवाई माधोपुर	दोन्दरी प्रथम	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
21	सवाई माधोपुर	मथुरापुरा	आंगनवाडी भवन	2.5	1	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
22	सवाई माधोपुर	खदुपुरा प्रथम	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
23	सवाई माधोपुर	मैनपुरा प्रथम	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
24	सवाई माधोपुर	जटवाडा द्वितीय	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
25	सवाई माधोपुर	धनौली द्वितीय	आंगनवाडी भवन	2.5	1.25	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
26	सवाई माधोपुर	जडावता द्वितीय	आंगनवाडी भवन	2.5	1.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद

27	बौली	झनून	आंगनवाडी भवन	2.5	2.2	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
28	बौली	मोरपाल की ढाणी	आंगनवाडी भवन	2.5	2.3	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
29	बौली	पीपलवाडा प्रथम	आंगनवाडी भवन	2.5	2.5	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
30	बौली	टोंड	आंगनवाडी भवन	2.5	2.4	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
31	बौली	डिडवाडी द्वितीय	आंगनवाडी भवन	2.5	2.1	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
32	बौली	पखाला	आंगनवाडी भवन	2.5	2.4	पंचायती राज	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
कुल योग :-					45.2		

- स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्संबंधी नियम / निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे।
- वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारंभ किये जावें। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
- स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर -अंदर पूर्ण करना होगा।
- यदि विभागीय बजट में संधारण एवं मरम्मत मद में कोई राशि उपलब्ध है तो उसके पूर्ण उपयोग के बाद ही एस.डी.आर.एफ. में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जावेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावे।
- कार्यों की तकनीकी स्वीकृति विभागीय नियमों के अनुसार जारी कर तकनीकी स्वीकृति एवं तकनीकी की एक प्रति 3 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
- तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही कार्य प्रारंभ कराये जावे।
- मरम्मत कार्यों का निरीक्षण भी उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
- स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने हैं व आवंटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है
- तात्कालिक मरम्मत के कार्यों से संबंधित देनदरिया आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जावेगा।
- विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
दिनांक:- 1/10/2025

क्रमांक:- सहा./बाढ़/क्षति.परि/2025/ 3524 - 3544

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि तकनीकी स्वीकृति 3 दिवस में जारी की जाकर मय तकनीकी इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।
- उप जिला कलेक्टर, समस्त सवाई माधोपुर।
- तहसीलदार समस्त, सवाई माधोपुर।
- जिला जनसम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर।

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:- एफ.8(15)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/

जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 85/2025-26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु जिला कलक्टर, **सवाई माधोपुर** को निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. आंगनबाड़ी भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **आंगनबाड़ी भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सवाई माधोपुर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 2715 दिनांक 29.08.2025 के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड व तह. सवाई माधोपुर के 26 कार्यों हेतु राशि रुपये 31.30 लाख एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड व तह. बौली के 06 कार्यों हेतु राशि रुपये 13.90 लाख **कुल 32 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 45.20 लाख (अक्षरे रुपये पैंतालीस लाख बीस हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

2. चिकित्सा भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **चिकित्सा भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सवाई माधोपुर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 2715 दिनांक 29.08.2025 के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड व तह. मलारना डूंगर के 01 कार्यों हेतु राशि रुपये 2.00 लाख, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड व तह. बौली के 02 कार्यों हेतु राशि रुपये 1.75 लाख, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड व तह. सवाई माधोपुर के 06 कार्यों हेतु राशि रुपये 13.65 लाख एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड व तह. खण्डार के 02 कार्यों हेतु राशि रुपये 4.00 लाख **कुल 11 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रुपये 21.40 लाख (अक्षरे रुपये ईक्कीस लाख चालीस हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

3. पंचायत भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त **पंचायत/राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवनों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सवाई माधोपुर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 2715 दिनांक 29.08.2025 के आधार पर पंचायत समिति व तह. बामनवास के 01 कार्यों हेतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.09.23 11:50:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17911442

eSign 1.0



राशि रूपयें 2.00 लाख कुल 01 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 2.00 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

4. विद्यालय भवनों हेतु:-

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 2715 दिनांक 29.08.2025 के आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खण्डार तह. खण्डार के 150 कार्यों हेतु राशि रूपयें 300.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चौथ का बरवाडा तह. चौथ का बरवाडा के 72 कार्यों हेतु राशि रूपयें 140.13 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर तह. सवाई माधोपुर के 35 कार्यों हेतु राशि रूपयें 69.30 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बामनवास तह. बामनवास के 40 कार्यों हेतु राशि रूपयें 75.20 लाख एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गंगापुर सिटी तह. गंगापुर सिटी के 226 कार्यों हेतु राशि रूपयें 406.80 लाख कुल 523 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 991.43 लाख (अक्षरे रूपये नौ करोड़ इकरानवें लाख तैंतालीस हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

कुल 32 आंगनबाडी भवनों हेतु राशि रूपयें 45.20 लाख, 11 चिकित्सा भवनों हेतु राशि रूपयें 21.40 लाख 01 पंचायत भवनों हेतु राशि रूपयें 2.00 लाख एवं 523 विद्यालय भवनों हेतु राशि रूपयें 991.43 लाख कुल 567 कार्यों हेतु राशि रूपयें 1060.03 लाख (अक्षरे रूपये दस करोड़ साठ लाख तीन हजार मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
3. जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
6. जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।
7. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.09.23 11:50:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17911442

eSign 1.0

8. जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा:-
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02- बाढ़, चक्रवात आदि।
107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02)-(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)
[01]-[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]
21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)
12. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।
13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
14. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।
15. विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।
16. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
17. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।
18. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

(शैफाली कुशवाह)
शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shafali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.09.23 11:50:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17911442

eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, **सवाई माधोपुर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, सवाई माधोपुर ब्लॉक व तह. सवाई माधोपुर के कार्यालय भवन के प्रस्ताव में सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय की मरम्मत हेतु राशि की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड गंगापुर सिटी व बामनवास आंगनबाडी भवन मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आपके पत्र में प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है किन्तु विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण मिलान किया जाना संभव नहीं है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड व तह. बौली आंगनबाडी भवन मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 07 पर कार्यालय भवन हेतु राशि की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार अनुमत नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यों को स्वीकृत किया गया है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड व तह. खण्डार प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकड़ों से मिलान किया गया है उक्त वर्षा सही नहीं पाई गई है उक्त वर्षा अत्यधिक वर्षा की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड व तह. मलारना डूंगर के चिकित्सा भवन मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 02 पर उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु राशि रु. 1.70 लाख की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यों को स्वीकृत किया गया है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड व तह. बौली के चिकित्सा भवन मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 01, 02, 03, 04, 05 एवं 08 पर उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु राशि रु. 7.50 लाख की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यों को स्वीकृत किया गया है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड व तह. सवाई माधोपुर के चिकित्सा भवन मरम्मत के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 01, 03, 04, 06, 08 से 15, 18 एवं 20 से 26 पर उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु राशि रु. 37.10 लाख की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। प्रस्ताव के शेष कार्यों को स्वीकृत किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.09.23 11:50:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17911442

eSign 1.0

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड व तह. खण्डार के प्रस्ताव में अंकित कार्यों के क्र.सं. 01 एवं 12 पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु राशि की मांग की गयी है तथा शेष सभी कार्यों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु राशि रु. 38.00 लाख की मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। अतः प्रस्ताव में 19 कार्य एवं राशि 38.00 लाख कम करते हुए 02 कार्य हेतु राशि रु. 4.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड व तह. गंगापुर सिटी के चिकित्सा भवन मरम्मत के उक्त प्रस्ताव में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत हेतु राशि मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार देय नहीं है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

पशुपालन विभाग, खण्ड व तह. गंगापुर सिटी के पशु चिकित्सालय के प्रस्ताव में पशु चिकित्सालय हेतु राशि मांग की गयी है, जो नोर्म्स अनुसार देय नहीं है।

7. वृत्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
8. कोष कार्यालय, सवाई माधोपुर।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.09.23 11:50:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17911442

eSign 1.0